न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 99/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 05.07.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/179

श्री महेन्द्र कुमार वयस्क पुत्र श्री ढगलाराम, जाति मेघवाल
निवासी ग्राम बर, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.) ....वादी

बनाम

1. श्रीमति कौशल्या वयस्क पुत्री श्री माणकचन्द जाति गरूडा
2. श्रीमति ढगलाई वयस्क पत्नि श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा
3. श्रीमति नर्बदा देवी वयस्क पत्नि श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
4. श्री नारायणलाल वयस्क पुत्र श्री गोरधनलाल, जाति गरूडा,
5. श्री भगवानचंद वयस्क पुत्र श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
6. श्री मनोहर वयस्क पुत्र श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा,
7. श्री सोहन वयस्क पुत्र श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा,
8. श्री रमेश कुमार वयस्क पुत्र श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
9. श्री राधेश्याम वयस्क पुत्र श्री गोरधनलाल, जाति गरूडा,
10. संगीता वयस्क पुत्री श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
    सभी निवासी ग्राम झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर
11. श्री गणपतलाल वयस्क पुत्र श्री बंशीलाल, जाति सरगरा,
    निवासी ग्राम कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)
12. श्रीमान् लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर
13. श्रीमान् उप—पंजीयक अधिकारी महोदय, रायपुर,
14. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, ब्यावर ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादी
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांकः 20.02.2025

वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तैली द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि ग्राम झूठा पटवार हल्का झूठा, भू.अभि.नि. पीपलियां कलां, के खसरा नम्बर 434 रकबा 1.2626 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम, 434/1 रकबा 1.2950 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, 442 रकबा 0.9389 किस्म बारानी दोयम, 833 रकबा 1.1574 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, कृषि भूमि स्थित हैं।उपरोक्त वर्णित खसरान को उक्त वाद मे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 मे काश्तकार के कॉलम मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के हिस्से के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है किन्तु उक्त भूमि अविभाजित है, और वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार से वादपत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित वादग्रस्त भूमियों मे वादी का खाता 1/24 हिस्सा जो कि वादी का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के साथ राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2074—2077 मे उक्त हिस्सा संयुक्त रूप से अंकित है, जिसका कि उक्त भूमि का आज दिवस तक विभाजित नही हुआ है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के हिस्से अविभाजित है, और उनका विभाजन नही हो रखा है, किन्तु वे मनेज्ञाना काबिज चले आ रहे है, जिसके कारण से आपस मे विवाद होते रहते है। इस कारण से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को उपरोक्त हिस्सों के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के बीच विभाजन करने हेतु दिनांक 10/08/2024 को निवेदन किया किन्तु उक्त प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 इन्कार हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि को खुर्द—बुर्द करके तीसरे व्यक्ति का कब्जा करवाकर रहेंगे तथा मौके पर बिना विभाजन कराये निर्माण कार्य भी कर लेंगे तथा मना करने तथा विभाजन कराने को कहने पर उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 आग बबुला हो गये और धमकी दी हमारी ईच्छानुसार निर्माण करेंगे और विभाजन भी नही करायेंगे। इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है। इसलिये यह दावा तैयार करवाकर विभाजन हेतु पेश किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों मे वादीगण के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है, अन्यथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 वादग्रस्त भूमि को बिना विधिक विभाजन किये स्पेशिक पोरशन मे निर्माण कर देंगे तथा उक्त भूमियों को अपना बताकर खुर्दबुर्द कर देंगे और दीगर लोगो को कब्जा करवाकर वादी को उसके हिस्से से वंचित कर देंगे जिससे वादी को पैसों मे ना आंके जाने वाली असहनीय व अपूर्णीय क्षति होगी। उपरोक्त वाद

गुलाब सिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मे प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14 को बिना धारा 80 जाब्ता दीवानी का नोटिस दिये पक्षकार बनाया गया है। क्योंकि उक्त वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है, और उक्त वाद के साथ एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर अर्जेन्ट रिलीफ लिया जाना आवश्यक हो गया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 कानून को हाथ मे लेकर गलत व गैरकानूनी कार्यवाही करने के लिये आमदा है, तथा वादग्रस्त भूमियों को खुर्द–बुर्द करने व दीगर लोगो का कब्जा कराने के लिये आमदा है, उस सूरत मे 2 माह का नोटिस देकर उक्त वाद प्रस्तुत करने से उक्त वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा, इसलिये बिना नोटिस दिये दावा करने की इजाजत का प्रार्थना पत्र इस वाद के साथ सलंग्न किया जा रहा है, और इजाजत की जा रही है। उपरोक्त वाद का वाद कारण इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उपरोक्त वाद मे तथ्यों को देखते हुए दिनांक 10/06/2024 को उत्पन्न हुआ उसके बाद दिन व दिन उत्पन्न होता जा रहा है। डिक्री बहक वादी के हक मे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के विरूद्ध विभाजन की डिक्री पारित की जाकर वादग्रस्त भूमियां जिसका विवरण वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे दिया गया है, उसका वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के बीच वादी के उनके हिस्से जिनको वा पत्र की चरण संख्या 1 मे दर्शाये गये है, उन हिस्सों के अनुसार बॉई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे और उनके हिस्सों मे आई भूमि क अलग खाता खोला जावे तथा पृथक–पृथक लगान निर्धारित किया जावे तथा उनका पृथक पृथक हिस्से के अनुसार कब्जा कायम कायम करवाया जावे तथा उक्त विभाजन को नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी मे दर्शाया जाकर जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जावे तथा सम्पूर्ण विभाजन किये जाने की आज्ञा प्रदान करावे। वादी के हक मे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 स्वयं तथा जरिये उनके नोकर, चाकर, दोस्त, हाली, एजेन्ट, परिवारजन, रिश्तेदार, मुख्तियार, आदि के जरिये वादीगण को उनके उपरोक्त हिस्सों के अनुसार जो संयुक्त कब्जा चला आ रहा है, उससे बेदखल नही करे तथा उसके शांतिपूर्ण कब्जा व उपभोग मे बाधा उपस्थित नही करे तथा वादग्रस्त भूमियों का विधिवत रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक हस्तांतरित, रूपान्तरित, भारग्रस्त, ऋणग्रस्त, क्षतिग्रस्त आदि नही करे ना करावे। तथा प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 14 को पाबंद किया जावे कि वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा किये गये किसी भी हस्तांतरण विलेख अथवा इकरारनामा के विषय मे पंजीकरण संबंधी कार्यवाही नही करे तथा उसके आधार पर कोई नामान्तरकरण व अमल–दरामद संबंधी कार्यवाही नही करे ना ही किसी खरीददार को कब्जा देवे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 के सम्मन की तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित हैं इसीलिए इन प्रतिवादीगण, पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की हैं।

बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् अधिवक्ता की सहमति से वादपत्र में बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम झूठा पटवार हल्का झूठा, भू.अभि.नि. पीपलियां कलां, के खसरा नम्बर 434, 434/1, 442, 833 की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। लगान एंव खाते अलग अलग करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर स्वयं मौका निरीक्षण कर बन्टवाडा रिर्पोट पेश करें। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर सा.मि.किया जावें।

(हस्ताक्षर)
(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.02..2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

प्राथमिक डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर
बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

श्री महेन्द्र कुमार वयस्क पुत्र श्री ढगलाराम, जाति मेघवाल
निवासी ग्राम बर, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.) ....वादी

बनाम

1. श्रीमति कौशल्या वयस्क पुत्री श्री माणकचन्द जाति गरूडा
2. श्रीमति ढगलाई वयस्क पत्नि श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा
3. श्रीमति नर्बदा देवी वयस्क पत्नि श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
4. श्री नारायणलाल वयस्क पुत्र श्री गोरधनलाल, जाति गरूडा,
5. श्री भगवानचंद वयस्क पुत्र श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
6. श्री मनोहर वयस्क पुत्र श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा,
7. श्री सोहन वयस्क पुत्र श्री धर्मीचन्द, जाति गरूडा,
8. श्री रमेश कुमार वयस्क पुत्र श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
9. श्री राधेश्याम वयस्क पुत्र श्री गोरधनलाल, जाति गरूडा,
10. संगीता वयस्क पुत्री श्री माणकचन्द, जाति गरूडा,
    सभी निवासी ग्राम झूठा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर
11. श्री गणपतलाल वयस्क पुत्र श्री बंशीलाल, जाति सरगरा,
    निवासी ग्राम कुशालपुरा, तहसील रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)
12. श्रीमान् लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर
13. श्रीमान् उप–पंजीयक अधिकारी महोदय, रायपुर,
14. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, ब्यावर ....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तैली वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम झूठा पटवार हल्का झूठा, भू.अभि.नि. पीपलियां कलां, के खसरा नम्बर 434, 434/1, 442, 833 की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में बन्टवाडा माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस बंटवाड़ा करने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। लगान एंव खाते अलग अलग करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायपुर स्वयं मौका निरीक्षण कर बन्टवाडा रिर्पोट पेश करें। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर सा.मि.किया जावें।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.02.2025 को जारी किया गया।

गुलाब सिंह
(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		00	00
मीजान		10	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।